न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 26/2018 GCMS NO 2018/00173

1. द्वारिका पुत्र जीवन लाल जाति ब्राहम्ण (फौत)
   1/1. राधेश्याम दत्तक पुत्र द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डरायल
2. बैजनाथ
3. मुन्ना पुत्रान जीवनलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीयान मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. हरि पुत्र मुरारी जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डरायल (फौत)(हजफ)
2. शीला
3. शकुन्तला पुत्रियान मुरारी जातियान ब्राहम्ण निवासीयान मण्डरायल हाल निवासी बघरेटा तहसील सबलगढ जिला मुरैना एम0पी0
4. सत्यनारायण
5. सतीश पुत्रान केदार जातियान ब्राहम्ण
6. लीला बेवा केदार
7. शिवकांता
8. माया पुत्रियान बाल मुकुन्द
9. बाबूलाल
10. नथुआ लाल पुत्रान जगनू उर्फ जगन्नाथ
11. प्रहलाद पुत्र हरेत लाल
12. विमला
13. विध्या
14. काशी पुत्रियान हरेतलाल सभी जातियान ब्राहम्ण निवासी मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 1/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.1.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, मण्डरायल)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री नवल किशोर शर्मा,श्री राजेश शर्मा

दिनांक 28.02.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अन्तर्गत धारा [illegible] विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.1.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, मण्डरायल पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 3 द्वारा एक वाद पत्र धारा 53 व 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 278 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 279/1 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा कुल रकबा 4 बीघा 10 विस्वा ग्राम मण्डरायल मे स्थित है। जो वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 15 एवं लाडो पुत्री केदार की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे वादीगण का 26/450 हिस्सा है एवं प्रतिवादी न0 1 ता 3 का 26/1800 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 4 व 5 का 26/900 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 6 का 26/900 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 7 ता 9 का 78/450 हिस्सा है। प्रतिवादी न0 10 व 11 का 26/90 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 12 ता 15 का 38/90 हिस्सा है। वादीगण अपने 26/450 हिस्सा पर प्रतिवादी न0 1 ता 15 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार है। लाडो पुत्री केदार का स्वर्गवास हो चुका है वह लाऔलाद फौत हो चुकी है। उसके वारिसान 1 ता 3 है। आराजी ख0न0 236 रकबा 8 बीघा 16 विस्वा , ख0न0 259 रकबा 17 विस्वा, 260 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, 271 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 272/1 रकबा 16 विस्वा, 273 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 274/1 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा , 275 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 276/2 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा , 277 रकबा 17 विस्वा, 279 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 280 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 28 बीघा 1 विस्वा ग्राम फिरोजपुर तहसील मण्डरायल मे स्थित है। जो वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 15 व वासुदेव पुत्र जीवनलाल के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वासुदेव पुत्र जीवनलाल अर्सा 12 साल पूर्व लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है। उक्त आराजीयात मे वादीगण का 41/561 हिस्सा है एवं प्रतिवादी न0 1 ता 9 का 167/561 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 10 व 11 का 145/561 हिस्सा है एवं प्रतिवादी न0 12 ता 15 का 208/561 हिस्सा है। जो मृतक हरेतलाल पुत्र लच्छीराम के पुत्र पुत्री है ओर बेवा वारिसान है। वादीगण अपने 41/561 हिस्सा पर प्रतिवादी न0 1 ता 15 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से हिस्सा अनुसार बंटवारा कराकर अलग से खातेदारी व लगान सेपरेट कराने को कहा तो उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया गया तथा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी गई कि आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दी गई तथा झगडा करने पर आमादा हो गये। जिसका इस्तगासा थाना मण्डरायल मे पेश किया गया जिसके आधार पर थानाधिकारी ने धारा 107, 116 सीआरपीसी मे इस्तगासा एस डी एम मण्डरायल मे पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण नाराज हो गये। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काश्त करने हेतु सक्षम नही है। विवादित आराजीयात का अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगण की काश्तशुदा फसल को नष्ट कर देते है जिससे वादी के हक हकूक प्रभावित होते है। इस प्रकार वादी की हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर पृथक से खाता कायम किया जाकर विवादित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त कर आराजीयात को कब्जे राज लिया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात की बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर बंट[illegible] स्कीम के अनुसार दावा आपसी सहमति से डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य की अनदेखी कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की किसी प्रकार की कोई जबाबदेही के बिना ही निर्णय पारित किया है। जबाब देही का कोई अवसर नही दिया गया सीधे ही पत्रावली तनकीयात मे नियत कर दी गई। इसके उपरान्त दिनांक 13.6.16 को हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया। जिसके बाबत अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार से सूचित नही किया गया ना ही अदालत मातहत द्वारा कोई नोटिस दिया गया। जबकि अदालत का कर्तव्य था कि वह अपीलांट को अदम हिदायत पैरवी की सूचना देता। यदि उसके उपरान्त भी अपीलांट हाजिर नही होते तो अपीलांट के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अदम मौजूदगी मे राजीनामा तस्दीक किया गया है तथा हमारी बिना मौजूदगी मे प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम मंगाने की कार्यवाही की गई है। बंटवारे के बाबत अपीलांट को तहसीलदार द्वारा कोई सूचना नही दी गई है। इस कारण निर्णय अपास्त योग्य है। मौके पर फसल अपीलांट की खडी पर फिर भी कब्जा विपक्षी का करवा दिया गया है। अपीलांट की कब्जे की जमीन को हमारे बंटवारे मे नही दर्शाया गया है जो मीटस एण्ड बाउन्डस तरीके से बंटवारा करते समय सर्वप्रथम अपीलांट के कब्जे की भूमि ही बंटवारे मे दी जानी चाहिए थी। बंटवारे मे कब्जे से अधिक या कम जमीन होने की अवस्था मे ही दीगर ख0न0 मे से जो अपीलांट के नजदीक है उसी मे से ही या उसी को ही बंटवारा स्कीम मे शामिल करना चाहिए था। इस प्रकार बंटवारा स्कीम वादीगण रेस्पो0 व दीगर रेस्पो0 ने आपस मे साज करके हमारी काश्त भूमि को बंटवारे मे शामिल ना करते हुए गैर कानूनी तरीके से अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित की गई है। जो निरस्त योग्य है। निर्णय व डिक्री जैर अपील गैर कानूनी आधारो पर पारित होने के कारण अपीलांट के हक प्रभावित हुए है। यदि दिनांक 13.6.16 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए एवं हिदायत पैरवी ना करने के लिए अधिकृत का हनन है। इसलिए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 16.1.18 को दिये जाने पर उसी दिन नकल व अन्य प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय अपीलांट को सुने बिना ही पारित किया गया है। जिससे अपीलांट के हक हकूक प्रभावित हुए है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर ही होने से धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिये जाने उपरान्त बंटवारा स्कीम तैयार कराये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:09 IST
Reason: Self Attested

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कथन किया कि आराजी ख0न0 278 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 279/1 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा कुल रकबा 4 बीघा 10 विस्वा ग्राम मण्डरायल मे स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। जो रेस्पो0 व प्रतिवादी न0 1 ता 15 एवं लाडो पुत्री केदार की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे रेस्पो0 का 26/450 हिस्सा है एवं अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 ता 3 का 26/1800 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 4 व 5 का 26/900 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 6 का 26/900 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 7 ता 9 का 78/450 हिस्सा है। प्रतिवादी न0 10 व 11 का 26/90 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 12 ता 15 का 38/90 हिस्सा है। रेस्पो/वादीगण अपने 26/450 हिस्सा पर प्रतिवादी न0 1 ता 15 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार है। लाडो पुत्री केदार का स्वर्गवास हो चुका है वह लाऔलाद फौत हो चुकी है। उसके वारिसान 1 ता 3 है। आराजी ख0न0 236 रकबा 8 बीघा 16 विस्वा , ख0न0 259 रकबा 17 विस्वा, 260 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, 271 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 272/1 रकबा 16 विस्वा, 273 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 274/1 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा , 275 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 276/2 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा , 277 रकबा 17 विस्वा, 279 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 280 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 28 बीघा 1 विस्वा ग्राम फिरोजपुर तहसील मण्डरायल मे स्थित है। जो वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 15 व वासुदेव पुत्र जीवनलाल के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वासुदेव पुत्र जीवनलाल अर्सा 12 साल पूर्व लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है। उक्त आराजीयात मे वादीगण का 41/561 हिस्सा है एवं प्रतिवादी न0 1 ता 9 का 167/561 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 10 व 11 का 145/561 हिस्सा है एवं प्रतिवादी न0 12 ता 15 का 208/561 हिस्सा है। जो मृतक हरेतलाल पुत्र लच्छीराम के पुत्र पुत्री है ओर बेवा वारिसान है। वादीगण अपने 41/561 हिस्सा पर प्रतिवादी न0 1 ता 15 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से हिस्सा अनुसार बंटवारा कराकर अलग से खातेदारी व लगान सेपरेट कराने को कहा तो उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया गया तथा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी गई कि आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दी गई इस वाद कारण उत्पन्न होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे संयुक्त आराज़ीयात का कब्जा अनुसार बंटवारा कराने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी न0 12 स्वयं उपस्थित हुए है तथा प्रतिवादी न0 7 ता 9 भी उपस्थित हुए है जिनके द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी न0 7 ता 9 की और से हिदायत पैरवी नही होना चाहिर किया गया। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही विधि अनुसार अमल मे लाई गई है। वाद पत्र से प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 का नाम हटाने का प्रार्थना पत्र वादी/रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उनका नाम दावे से पृथक किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0/वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 राजीनामा प्रस्तुत करने पर अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनाम तस्दीक किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व जमाबंदी सम्वत 2067–76 व 2066 से 2069 ग्राम फिरोजपुर तहसील मण्डरायल का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन किया गया है जिसमे भूमि वादी/रेस्पो0 एवं अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात माना गया है। जो सही है। प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 द्वारा अपनी मूल प्रतिवादी ... 12 को अपने हिस्से की आराजीयात रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 9.1.15 को की गई है। विवादित ... मे वादीगण/रेस्पो0 का 26/450 हिस्सा माना है। इस प्रकार रेस्पो/वादी... आराजीयात का बंटवारा कराने का विधिवत अधिकार होने के कारण ही विधिवत बंटवारे हेतु वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

द्वारा विधि के प्रावधानो के अनुसार ही दिनांक 13.6.16 को प्राथमिक डिक्री किया गया है। प्राथमिक डिक्री पर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे आपत्ति प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा पुनः संशोधित बंटवारा स्कीम तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये है। तत्पश्चात तहसीलदार से प्राप्त संशोधित बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना जाकर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति दिये जाने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा स्कीम अनुसार वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र डिक्री किया गया है। जो विधि के प्रावधानो के तहत ही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।जिससे यह तथ्य सामने आयें कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पो0की सहखातेदारी की आराजीयात रही है। इस तथ्य को दोनो पक्षो ने स्वीकार किया है तथा मौके पर आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त करना भी दोनो पक्षो मे जाहिर किया गया है। रेस्पा/वादी द्वारा विवादित आराजीयात का बंटवारा विधिवत कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारे का वाद पत्र पेश किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से बंटवारा स्कीम तलब की गई है। तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पर वादी/रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा ऐतराज इस आशय का पेश किया कि वादीगण का हिस्सा 41/561 के बजाय 208/3366 संशोधित किये जावे। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई एतराज नही करने से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तदनुसार संशोधन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को बंटवारा स्कीम पर सुना गया। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रकट करने के उपरान्त वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र सहमति के आधार पर डिक्री किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के मु0न0 01/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.1.2017 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner